नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Nyaydhani - 11 May 2025 - 11nyay1
epaper.navabharat.news

सीजे ने लिया निर्णय, तत्काल प्रभाव से हुआ लागू

समर वेकेशन पोस्टपोन करने का आदेश वापस

बिलासपुर। हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की बैठक में सर्वसम्मति से अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। 12 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बारे में जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई मगर इसी बीच चीफ जस्टिस ने स्थगित किए गए समर वेकेशन के आदेश को वापस ले लिया। बैठक में तय किया गया था कि, ग्रीष्मकालीन अवकाश स्थगित करने के संबंध में सभी अधिवक्ता लाल रिबन लगाकर 12मई 2025 को अवकाश स्थगन का विरोध प्रदर्शन करेंगे। तय हुआ कि अवकाश के स्थगन संबंध में अधिवक्ताओं द्वारा पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही तरफ से अभिमत देने के कारण जनरल बॉडी मीटिंग 12 मई को 1.30 बजे दोपहर में बुलाई जाएगी। संघ के सचिव वरुनेंद्र मिश्रा ने कहा कि, जनरल बॉडी मीटिंग के निर्णय >> शेष पेज 5 पर

12
मई को दो सिंगल बेंच तय

समर वेकेशन पोस्टपोन करने का...

के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश स्थगन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को अवगत कराया जायेगा। इसी बीच चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर ग्रीष्मकालीन अवकाश स्थगित कर उसे आगे बढाने जारी हुआ 9 मई का आदेश वापस ले लिया गया । इसमें नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। इस तरह अब समर वेकेशन पूर्ववत 12 मई से ही होगा। हालांकि, सोमवार को हाईकोर्ट में दो वेकेशन बेंच भी निर्धारित कर दी गई है। आज हुई बैठक में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी अध्यक्ष उमाकांत चंदेल सचिव, वरुणेंद्र मिश्रा, उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बाजपेयी, सह सचिव विवेक सिंघल, खेल सचिव प्रगल्भ शर्मा, उपाध्यक्ष महिला एम आशा, ग्रंथालय सचिव समीर सिंह, कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य ईश्वर जायसवाल, नुपुर त्रिवेदी, विवेक शर्मा, प्रज्ञा पाण्डेय, विकास श्रीवास्तव उपस्थित रहे।